झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधि० सं०– वन NBM/01/08 3230 व०व०,दिनांक– 01/08/18

अधिसूचना

राष्ट्रीय बाँस मिशन 2018 के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (**State Level Executive Committee**) का गठन किया जाता है:–

1.	मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
3.	प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
4.	प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
5.	प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
6.	प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
7.	प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड,राँची	सदस्य
9.	विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
10.	कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची ।	सदस्य
11.	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची ।	सदस्य
12.	प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची।	सदस्य
13.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विकास अभिकरण, झारखण्ड,राँची।	सदस्य
14.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ।	सदस्य
15.	कृषक समूह के प्रतिनिधि ।	सदस्य
16.	बाँस आधारित उद्योग के प्रतिनिधि ।	सदस्य
17.	मुख्य वन संरक्षक–सह–सह मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, राँची–सह–राज्य मिशन निदेशक, राज्य बाँस विकास एजेन्सी, झारखण्ड,राँची।	सदस्य सचिव

4. कृषक समूह तथा बाँस आधारित उद्योग के प्रतिनिधियों का मनोनयन विभाग द्वारा किया जाएगा। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

5. यह समिति झारखण्ड बाँस विकास एजेन्सी की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, तथा राष्ट्रीय बाँस मिशन के कार्यों का अनुश्रवण करेगी।

6. यह समिति बाँस मिशन के कार्यों को त्वरित गति से संपादित करने के लिए अंतर विभागीय समन्वय का कार्य करेगी ।

7. समिति की बैठक वर्ष में कम–से–कम दो बार आहूत की जाएगी ।

8. समिति में कम–से–कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य होगी ।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(ए० के० रस्तोगी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– वन NBM/01/08- 3230 व०प०,दिनांक– 01/08/18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव झारखण्ड, राँची / मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव / सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उधोग विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविधालय, कांके, राँची / निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम–सह–मिशन निदेशक, झारखण्ड बाँस विकास एजेन्सी (JBDA),झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– वन NBM/01/08- 3230 व०प०,दिनांक– 01/08/18

प्रतिलिपिः–सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

का०आ०सं०–वन NBM/01/08- 3229 व०व०,दिनांक– 01/08/18

कार्यालय आदेश 66

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन–2018 के कार्यान्वयन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को नोडल विभाग घोषित करते हुए मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची को मिशन निदेशक, झारखण्ड बाँस विकास अभिकरण (Jharkhand Bamboo Development Agency) नामित किया जाता है।

1/8/18

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन NBM/01/08- 3229 व०प०,दिनांक–01/08/18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के सचिव झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची/ निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, राँची/ प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य वन विकास निगम लि0, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, विश्व खाद्य कार्यक्रम–सह–मिशन निदेशक, झारखण्ड बाँस विकास एजेन्सी (JBDA),झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– वन NBM/01/08- 3229 व०प०,दिनांक– 01/08/18

प्रतिलिपिः–सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/8/18

सरकार के उप सचिव।